List of P.O.Ws. for trial in Bangladesh

*1051. SHRI R. K. SINHA:
SHRI SHIV KUMAR SHASTRI:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Bangladesh Government have since submitted the List of Pakistani P.O.Ws. who are to be tried in Bangladesh on charges of various crimes; and

(b) the reaction of Pakistan Government to this List?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SWARAN SINGH): (a) and (b) The Government of Bangladesh is in touch with the Government of India in this respect but no final outcome has yet emerged.

सुरक्षा विभाग में भर्ती

*1054. श्री विभूति मिश्र : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सुरक्षा विभाग मे भर्ती का आधार खुली प्रतियोगिता नही है,

(ख) क्या केवल कुछ समुदाय हीं जिन्हे मार्शल रेस करार दिया गया है, भर्ती के लिए हकदार हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मार्शल और नान-मार्शल जातियों के भेद को हटाने का है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अफसरों की भर्ती खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाती है। अन्य रैंकों के मामले मे, जबकि वायुसेना तथा नौसेना में भर्ती जाति अथवा समुदाय का ध्यान किए बिना की जाती है वहां सेना मे कतिपय समुदायों के लिए आरक्षण है। भर्ती की जाने वालों की वास्तविक संख्या मुख्यत सेनाओं की आवश्यकताओं, विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले स्वयंसेवकों और चयन के समय निर्णय की गई उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करती है।

(ख) जी नही श्रीमन्। समस्त सेनाओं मे अफसरों अथवा अन्य पदों पर भर्ती के लिए योधा अथवा गैरयोधा जातियों के बीच कोई भेद नही है। तथापि, ऐतिहासिक कारणो से और परम्परा के आधार पर सेना मे कतिपय श्रेणी गठन जारी रखने की अनुमति दी गई है जबकि केवल कतिपय, जातियो के सदस्यो के लिए भर्ती आरक्षित है। क्योंकि नौसेना तथा वायु सेना मे श्रेणी गठन नही है अत किसी जाति के लिए आरक्षण नही है।

(ग) प्रश्न नही उठता।

Modification of Mining Leases

*1055. SHRI C. K. JAFFER SHARIFF: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether there are cases pending with Mining Controller for modification of mining leases; and

(b) if so, the reasons for the delay and the mines involved therein?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) Modification proceedings in respect of a number of Mining Leases had to be kept in abeyance as these leases were not specifically covered under the Mines and Minerals (Reg. & Dev.) Act, 1957. Suitable enabling amendments to the Act were enacted in September, 1972. The consequential changes in the Rules are being finalised. Modification proceedings will be taken up after the Rules have been amended.

The number of Mines involved are 381.